मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड उच्च शिक्षा परिषद् की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त

डॉ0 इन्दिरा हृदयेश, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड उच्च शिक्षा परिषद् की द्वितीय बैठक दिनांक 23 दिसम्बर 2015 को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), देहरादून में आयोजित की गई। बैठक की उपस्थिति संलग्नक–1 में अवलोकनीय है। अपर सचिव, उच्च शिक्षा तथा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) के अपर परियोजना निदेशक, श्री श्रीधर बाबू अद्दांकी द्वारा मा0 उच्च शिक्षा मंत्री तथा सभी सदस्यों के स्वागत तथा 'रुसा' की अवधारणा एवं प्रयोजन से अवगत कराने के उपरान्त बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

मद संख्या (1) **दिनाकं 28 मई 2014 को आयोजित बैठक के निर्णयों की पुष्टि तथा अनुपालन आख्या का अनुमोदन**

मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड उच्च शिक्षा परिषद् की प्रथम बैठक दिनांक 28 फरवरी 2014 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में पारित निर्णयों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त न होने के कारण निर्णयों की पुष्टि तथा अनुपालन आख्या पर परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या (2) **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की प्रगति**

आलोच्य वर्ष में प्रदेश में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के संचालन हेतु सम्पादित किये गये कार्यो से सदस्यों को अवगत कराया गया तथा रुसा की तैयारी एवं प्रदेश में उच्च शिक्षा सुधारों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित 'रुसा' की कार्यकारिणी समिति द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर 2015 को आयोजित बैठक में पारित निम्नलिखित प्रस्तावों पर परिषद् द्वारा अनुमोदनोपरान्त अग्रेतर कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया :–

(अ) राजकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों को दृष्टिगत रखते हुए दून विश्वविद्यालय, देहरादून में स्थापित केन्द्रीय स्टूडियो के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में ई–लर्निंग व वैयक्तिक सम्पर्क द्वारा उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ–साथ मा0 उच्च शिक्षा मंत्री व प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा के कार्यालय तथा उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन चार विश्वविद्यालयों (कुमाऊँ, दून, मुक्त तथा श्रीदेव सुमन) एवं उच्च शिक्षा निदेशालय में मूल्यांकन एवं मॉनिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(ब) संलग्नक–2 के अनुसार उच्च शिक्षा सुधारों के सम्बन्ध में अनुमोदित प्रस्तावों को कियान्वित किया जाय।

(स) प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए एम0आई0एस0 विकसित किया जाय।

मा0 उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा प्रदेश में रुसा परियोजना की समीक्षा करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही : रुसा परियोजना निदेशालय)

मद संख्या (3) उच्च शिक्षा विकास में उच्च शिक्षा परिषद् की भूमिका

उत्तराखण्ड में उच्च शिक्षा के सम्मुख प्रस्तुत चुनौतियॉ का सामना करने में उच्च शिक्षा परिषद् को निर्णयाक व सार्थक भूमिका निभाने के सम्बन्ध में सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान करते हुए प्रदेश में उच्च शिक्षा के गुणात्मक ह्रास के सम्बन्ध में चिंता व्यक्त की गयी। बैठक में अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) के अर्न्तगत सम्बद्धता, अकादमिक, प्रशासनिक एवं परीक्षा सुधारों के माध्यम से गुणवत्ता, सुशासन, सुलभता एवं साम्य स्थापित करने के लिए मद संख्या (4) से मद संख्या (13) तक वांछित संस्तुतियॉ की जानी प्रस्तावित हैं। मा0 उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा इन संस्तुतियों को क्रियान्वित करने के निर्देश के साथ–साथ अपेक्षा व्यक्त की गई प्रदेश का प्रत्येक विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय अपनी क्षमता व विशेषज्ञता के आधार पर स्वंय को किसी एक विषय पर उत्कृष्टता केन्द्र के रुप में विकसित करे। इस सम्बन्ध में मा0 मंत्री महोदया द्वारा प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों का सहयोग प्राप्त करने के भी निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही : उच्च शिक्षा विभाग तथा रुसा परियोजना निदेशालय)

मद संख्या (4) महाविद्यालयों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में यू0जी0सी0 परिनियमों को लागू किया जाना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रख्यापित विनियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में महाविद्यालयों की सम्बद्धता के एक समान मानक व प्रकिया लागू करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सम्बद्धता के विषय में गठित समिति की संस्तुतियों को लागू करने के साथ–साथ सम्बद्धता के मानकों को कठोरता से लागू करने हेतु विभागीय स्तर पर कार्यवाही करने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।

(कार्यवाही : उच्च शिक्षा विभाग)

मद संख्या (5) महाविद्यालयों को यू0जी0सी0 की मान्यता प्रदान किया जाना

किसी भी उच्च शिक्षण संस्था को यू0जी0सी0 से अनुदान प्राप्त करने हेतु 12(B) से आच्छादित होना आवश्यक है। किसी भी विश्वविद्यालय से अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय धारा 2(f) के लिए तथा स्थायी सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय, धारा 12(B) के लिए आवेदन कर सकता है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय होने के पश्चात् हे0न0ब0ग0 विश्वविद्यालय द्वारा गढ़वाल मण्डल के महाविद्यालयों को स्थायी सम्बद्धता प्रदान नहीं की जा रही है। अतः गढ़वाल मण्डल के समस्त राजकीय व अनुदानित महाविद्यालयों को श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने तथा धारा 2 (f) व 12(B) से आच्छादित करने के लिए प्रदेश के समस्त राजकीय महाविद्यालयों को भूमि, भवन, संरचनात्मक सुविधाऐं तथा स्टाफ उपलब्ध कराने हेतु उच्च शिक्षा विभाग से विभागीय स्तर पर कार्यवाही करने के प्रस्ताव पर परिषद् की बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही : उच्च शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा निदेशालय)

मद संख्या (6) ए0आई0एस0एच0ई0 (AISHE) पोर्टल में सूचनाओं की अपलोडिंग

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित 'Know Your College' योजना के लिए राज्य के सभी विश्वविद्यालयों, राजकीय, अनुदानित व निजी महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों तथा पालिटेक्निक की सूचना AISHE पोर्टल में अपलोड की जानी अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में प्रदेश की चिन्ताजनक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए समस्त विश्वविद्यालयों के साथ–साथ निदेशक, प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा को तत्काल वांछित कार्यवाही करने हेतु शासनादेश संख्या 1920/XXIV(7)/2015/45(4)/2015 दिनांक 11 दिसम्बर 2015 द्वारा AISHE पोर्टल में सूचनाऐं अपलोड करने के पश्चात् ही सम्बद्ध महाविद्यालयों के परीक्षा परिणाम घोषित करने तथा सम्बद्धता विस्तारण की अनुमति प्रदान किये जाने की व्यवस्था को कठोरता से लागू करने के लिए सम्बन्धित विभागों से संस्तुति करने तथा इस सम्बन्ध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही : उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा एवं कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा उच्च शिक्षा निदेशालय व रुसा परियोजना निदेशालय)

मद संख्या (7) विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों का 'नॉक' से प्रत्यायन

महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन तथा प्रत्यायन के लिए यू0जी0सी0 द्वारा 1994 में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (National Assessment and Accreditation Council) {'नॉक' (NAAC)} की स्थापना की गई थी। 'नॉक' द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर मूल्यांकन के पश्चात् शिक्षण संस्थाओं को ग्रेडिंग प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2012 में जारी किये गये विनियमों तथा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) में प्रतिभाग करने के लिए भी प्रत्येक शिक्षण संस्था का प्रत्यायन कराया जाना आवश्यक है। 'नॉक' द्वारा पुर्नप्रत्यायन के लिए रु0 75000 तथा प्रत्यायन के लिए धारा 2(f)/12(B) से अनाच्छादित महाविद्यालयों से रु0 50,000 का शुल्क तथा मूल्यांकन समिति के सदस्यों के टी0ए0, डी0ए0 (जिसकी बाद में 'नॉक' द्वारा प्रतिपूर्ति कर दी जाती है) का भुगतान लिया जाता है। अतः 'नॉक' द्वारा प्रख्यापित नये विनियमों के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों का प्रत्यायन/पुर्नप्रत्यायन कराने के लिए संरचनात्मक सुविधाओं तथा प्रत्यायन

शुल्क की व्यवस्था शासन स्तर से किये जाने हेतु विभागीय स्तर पर वांछित कार्यवाही करने की संस्तुति के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही : उच्च शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा निदेशालय)

मद संख्या (8) पाठ्यक्रम परिवर्तन एवं परिमार्जन

उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम निर्धारण, विश्वविद्यालयों की अकादमिक निकायों द्वारा किया जाता है। विगत दो दशकों से आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों के कारण विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में भी परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। मा0 उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा नवीन विकसित क्षेत्रों में यथा बायोटेक्नालाजी, औषधीय पौधों, प्राकृतिक चिकित्सा, पर्यटन इत्यादि के साथ–साथ प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरुप पाठ्यक्रम सृजन व शोध की संभावनाओं को अभिज्ञापित करने के निर्देश दिये गये। उच्च शिक्षा में परम्परागत पाठ्यक्रम को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में परिवर्तित करने के साथ–साथ विद्यार्थियों की योग्यता व रुचि पर आधारित उनको स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए कौशल पर आधारित पाठ्यक्रम की सुविधा उपलब्ध कराने की नितांत आवश्यकता है। अतः मा0 उच्च शिक्षा मंत्री के निर्देशानुसार उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों की कौशल अविवृद्धि की दृष्टि से नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने, स्तरीय पुस्तकों व लेखकों तथा पाठ्य सामग्री को वेबसाइट में उपलब्ध कराने तथा वर्तमान पाठयक्रमों को परिमार्जित करने हेतु संस्तुतियॉ उपलब्ध कराने हेतु निम्नवत समिति गठित करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया :–

1	प्रो0 एच0एस0 धामी, कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल	अध्यक्ष
2	प्रो0 एम0एस0एम0 रावत, भूतपूर्व कुलपति, हे0न0ब0ग0 विश्वविद्यालय	सदस्य
3	प्रो0 दुर्गेश पंत, निदेशक यूसर्क, देहरादून	सदस्य

(कार्यवाही : पाठ्यक्रम परिमार्जन समिति)

मद संख्या (9) प्रौद्योगिकी समर्थित शिक्षा (Technology Enabled Education)

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रौद्योगिकी समर्थित शिक्षा (TEL) उपलब्ध कराने हेतु संलग्न–3 पर बिन्दुओं के सम्बन्ध में संभावनाओं के अभिज्ञापन तथा कार्ययोजना बनाने के लिए प्रो0 दुर्गेश पंत, निदेशक, यूसर्क की अध्यक्षता में एक समिति गठित किये जाने के प्रस्ताव पर परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही : प्रौद्योगिकी समर्थित शिक्षा समिति)

मद संख्या (10) परीक्षा सुधार

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता संवर्द्धन में परीक्षा सुधार एक महत्वपूर्ण अवयव है। सम्प्रति, प्रदेश में अध्ययन के विभिन्न स्तरों पर सेमेस्टर तथा वार्षिक पद्धति दोनों ही

संचालित हैं। अतः प्रादेशिक स्तर पर एकसमान परीक्षा पद्धति लागू करने के लिए चॉयस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के आधार पर सेमेस्टर पद्धति लागू करने हेतु शासन से विभागीय स्तर पर कार्यवाही करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही : उच्च शिक्षा विभाग)

मद संख्या (11) संसाधन सृजन

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अर्न्तगत उच्च शिक्षा में 2016–17 तक सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत तक व्यय करने की प्रतिबद्धता है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.25 प्रतिशत उच्च शिक्षा में व्यय किया गया। राजकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, फर्नीचर, आधुनिक उपकरण, पेयजल व शौचालय इत्यादि में सुधार हेतु राज्य के बजट में अपेक्षित प्रावधन करने के साथ–साथ शुल्क पुनरीक्षण करने पर वांछित कार्यवाही करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग से संस्तुति करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। राज्य में स्थापित कम्पनियों एवं औद्योगिक समूहों को उनके निगमित सामाजिक दायित्वों (Corporate Social Responsibility) के अन्तर्गत प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए प्रोत्साहित करने की संस्तुति शासन को उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही : उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन 4 राज्य विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा निदेशालय)

मद संख्या (12) प्रशासनिक सुधार

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अर्न्तगत उच्च शिक्षा में अकादमिक सुधारों के पश्चात् प्रशासनिक सुधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। संख्यात्मक दृष्टि से विकसित होने के बावजूद गुणात्मक दृष्टि से उच्च शिक्षा के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण दशकों पुरानी पद्धतियों से उसका संचालन किया जाना है। विगत दशकों में उच्च शिक्षा के अभूतपूर्व विस्तार के कारण इसका सुचारु प्रबन्ध संचालन एक चुनौती बना हुआ है। अतः आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा से सम्बन्धित अधिनियमों, नियमों, नियमावलियों तथा प्रशासनिक ढॉचे का परीक्षण करने के साथ–साथ प्रबन्ध संचालन में आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना नितांत आवश्यक है। तद्नुसार विद्यमान अधिनियमों/नियमों के परीक्षणोपरान्त अधिनियमों/नियमों में संशोधन के साथ–साथ उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम की संरचना हेतु शासन स्तर पर लम्बित प्रस्ताव के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा विभाग से विभागीय स्तर पर कार्यवाही करने की संस्तुति के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही : उच्च शिक्षा विभाग)

मद संख्या (13) **स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण का सृजन**

उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए वांछित संरचनात्मक सुविधाओं एवं फैकल्टी के साथ–साथ विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण होना भी अपरिहार्य है। अतः स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण सृजन हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर वांछित शासनादेश जारी करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग से संस्तुति के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया :–

(i) विश्वविद्यालय परिसरों एवं महाविद्यालयों में प्रातः 10 बजे से अपरान्हः 3 बजे तक गैर छात्र–छात्राओं (भूतपूर्व छात्र–छात्राओं सहित) के प्रवेश पर पूर्ण पाबन्दी।

(ii) छात्र–छात्राओं की समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित अभिभावकों को केवल अपरान्हः 3 से 4 बजे तक विश्वविद्यालय परिसरों एवं महाविद्यालयों में प्रवेश की अनुमति।

(iii) प्रत्येक शिक्षण संस्था में विद्यार्थियों के गले में टॉगने वाले प्रवेश पत्र की अनिवार्य व्यवस्था।

(iv) परीक्षा में बैठने हेतु कक्षा में वांछित न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति की व्यवस्था का कठोरता से अनुपालन।

(v) छात्र संघ चुनाव में लिंगदोह समिति की सिफारिशों का अक्षरक्षः अनुपालन।

(vi) शिक्षण संस्थाओं में उच्च स्तरीय पाठ्येत्तर क्रीड़ा, साहित्यिक व अन्य गतिविधियों में सभी विद्यार्थियों की सहभागिता।

(कार्यवाही : उच्च शिक्षा विभाग)

मद संख्या (14) **उच्च शिक्षा परिषद् को सूचनाऐं उपलब्ध कराया जाना**

भारत सरकार एवं राज्य सरकार को उच्च शिक्षा से सम्बन्धित प्रादेशिक स्तर की वांछित सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु समस्त विश्वविद्यालयों, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कृषि, आयुष व माध्यमिक शिक्षा इत्यादि विभागों, अखिल भारतीय संस्थानों तथा महाविद्यालयों की सूचनाओं की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सभी सम्बन्धितों को रुसा के राज्य परियोजना निदेशालय द्वारा अनुरोध किये जाने पर वांछित सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु उच्च शिक्षा विभाग से निर्देश जारी किये जाने की संस्तुति के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। हे0न0ब0ग0 (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचनाऐं निर्धारित तिथि में उपलब्ध न कराये जाने के प्रकरण पर सम्बन्धित अधिनियमानुसार कार्यवाही करने के प्रस्ताव पर भी अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही : उच्च शिक्षा विभाग)

मद संख्या (15) **उच्च शिक्षा परिषद् को संवैधानिक निकाय के रुप में स्थापित करना**

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च शिक्षा व्यवस्था के सुसंचालन हेतु सभी राज्यों से उच्च शिक्षा परिषद को अधिनियम द्वारा संवैधानिक निकाय के रुप में स्थापित करने के निर्देश दिये गये हैं। आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश, तामिलनाडु, महाराष्ट्र राज्यों में उच्च शिक्षा परिषद् संवैधानिक निकाय के रुप में स्थापित है। अतः प्रदेश में भी उच्च शिक्षा परिषद् को संवैधानिक निकाय के रुप में स्थापित करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही : उच्च शिक्षा विभाग तथा रुसा परियोजना निदेशालय)

मद संख्या (16) **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सम्पादित कार्यो के सम्बन्ध में किये गये व्ययों की कार्योतर स्वीकृति**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार प्रदेश में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के संचालन हेतु सम्पादित कार्यो के सम्बन्ध में किये गये आलोच्य वित्तीय वर्ष में दिनांक 14 दिसम्बर 2015 तक परिषद् द्वारा किये गये रु0 10,27,367 के व्ययों पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन द्वारा बैठक का समापन किया गया।

(एस0 रामास्वामी)
परियोजना निदेशक, रुसा

परियोजना निदेशालय, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
21/20 ई0सी0 रोड़, देहरादून
संख्या : 732 (21)/रुसा/2015–16 दिनांक : 04 फरवरी 2016

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य प्रमुख निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री को मा0 मंत्री महोदया के अवलोकनार्थ।
2. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. संयुक्त सचिव, मा0स0वि0म0 (उच्च शिक्षा विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।

5. सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन।
8. कुलपति, उच्च शिक्षा विभाग के नियत्रंणाधीन चार राज्य विश्वविद्यालय।
9. उत्तराखण्ड उच्च शिक्षा परिषद् के समस्त सदस्य।
10. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय ,हल्द्वानी नैनीताल।
11. नोडल अधिकारी, ए0आई0एस0एच0ई0 एवं 'नॉक', उत्तराखण्ड ।
12. नोडल अधिकारी, रुसा, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
अपर परियोजना निदेशक, रुसा

संलग्नक–1

मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की दिनांक 23 दिसम्बर 2015 को आयोजित द्वितीय बैठक की उपस्थिति

क्रम सं0	नाम	पदनाम	परिषद् में पदस्थिति
1	श्री एम0सी0 जोशी	सचिव, उच्च शिक्षा	परिषद् के सदस्य (प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा) के प्रतिनिधि
2	श्री श्रीधर बाबू अद्दांकी	अपर सचिव, उच्च शिक्षा	परिषद् के उपसभापति, (मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन) के प्रतिनिधि
3	प्रो0 वी0के0 जैन	कुलपति, दून विश्वविद्यालय	सदस्य
4	प्रो0 एच0एस0 धामी	कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय	सदस्य
5	प्रो0 सुरेन्द्र पी0सिंह	चेयर ऑफ एक्सीलैंस इन बायोडाइवरसिटी एंड इकोलॉजी, एफ0आर0आई0	सदस्य
6	प्रो0 एम0एस0एम0 रावत	भूतपूर्व कुलपति, एच0एन0बी0 गढ़वाल वि0वि0, श्रीनगर	सदस्य
7	डॉ0 बी0सी0 मेलकानी	निदेशक, उच्च शिक्षा	सदस्य–सचिव
8	प्रो0 दुर्गेश पंत	परिसर निदेशक, उत्तराखण्ड मुक्त वि0वि0, देहरादून।	सदस्य
9	डॉ0 रीता सिंह रघुवंशी	संकायाध्यक्ष, गृह विज्ञान, गो0ब0प0कृ0प्रौ0 वि0वि0, पंतनगर	परिषद् के सदस्य (कुलपति, गो0ब0प0कृ0 एवं प्रौ0, पंतनगर) के प्रतिनिधि
10	प्रो0 विनोद कुमार	उपनिदेशक, आई0आई0टी0 रुड़की	परिषद् के सदस्य (निदेशक, आई0आई0टी0) के प्रतिनिधि
11	प्रो0 उमा तिवारी पालनी	भूतपूर्व प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष बॉटनी, कुमाऊँ वि0वि0	सदस्य
12	डॉ0 एस0एन0 रिजवी	भूतपूर्व एन्थ्रोपॉलिजिस्ट एंड हैड एन्थ्रोपॉलिजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	सदस्य
13	डॉ0 देवेन्द्र भसीन	प्राचार्य, डी0ए0वी0 (पी0जी0) कालेज	सदस्य
14	डॉ0 प्रमोद कुमार पाठक	प्राचार्य, राजकीय महा0 बेतालघाट	सदस्य

संलग्नक –

Proposals approved for reforms in Higher Education in Uttarakhand under RUSA

S.No.	Title of Project	Principal Investigator	Organization	Proposed Budget approx. (in Lakh)
	Academic Reforms			
1	Evolving Framework for Academic Audit (AA) and IQA in Higher Education Institutions (HEIs) in Uttarakhand	Prof. Girija Pande Director School of Social Science & Vocational Studies	Uttarakhand Open University	9.90
2	Choice Based Credit System	Prof. V.K. Jain, V.C., Doon University & Dr. U.S. Rawat, V.C., Shridev Suman Uttarakhand University	Doon University	1.70
	Quality Reforms			
3	Awareness generation and capacity building through training workshops, publication of newsletter, report and manual etc. for the effective implementation of institutional quality reforms in RUSA	Dr. C.D. Suntha, Principal GDC Ganai Gangoli	Govt. Degree College, Champawat	12.00
	Rusa Reforms			
4	Higher Education Reforms in Uttarakhand Conceptualization, Planning & Implementation under RUSA	Prof. M.S.M Rawat , Ex- V.C. & Member Higher Education Advisory Committee	Uttarakhand State Council of Science & Technology, Dehradun	50.00
	Technology			
5	Capacity Building Workshop-cum-Training Programme for Faculties and Mapping Acess to Institutions of Higher Education in the Uttarakhand	Dr. Shiv Narayan Sidh	Dept. of Geography, Govt. Degree College, Gairsain & USAC	34.20
			Total	**107.80**

अनुदान स्वीकृत करने की शर्तें :–

1. स्वीकृत प्रस्तावों का उपयोग केवल उन्हीं कार्यो के लिए किया जायेगा जिनके लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है।
2. प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण होने के उपरान्त समस्त Non-Consumable सामग्री, रुसा परियोजना निदेशालय को उपलब्ध कराई जायेगी।
3. अनुदान का उपभोग उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियमों के अर्न्तगत किया जायेगा।

4. परियोजना अनुदान का नियमानुसार आडिट कराया जायेगा तथा समय–समय पर प्रगति आख्या रुसा परियोजना निदेशालय को उपलब्ध कराई जायेगी।
5. प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण होने के पश्चात् उपभोग प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षित खाते उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष का होगा।
6. प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में समय–समय पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की पूर्व सूचना रुसा परियोजना निदेशालय को उपलब्ध कराई जायेगी।
7. प्रोजेक्ट की समाप्ति के उपरान्त बचत रहने की दशा में उसे रुसा परियोजना निदेशालय में समर्पित किया जायेगा।
8. प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में भारत सरकार, उत्तराखण्ड शासन एवं रुसा परियोजना निदेशालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रो0 एस0डी0 सामन्त्रे विभागध्यक्ष, कम्प्यूटर सांइस, गो0ब0प0कृ0प्रौ0 विश्वविद्यालय द्वारा "Imparting Education to masses through Technology Enabled Centre" विषय पर ई–मेल द्वारा रु0 1 करोड़ 3 लाख के उपलब्ध कराये गये अहस्ताक्षरित प्रस्ताव के सम्बन्ध में दिनांक 16.10.2015 को आयोजित परीक्षण समिति की संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियों के निराकरण हेतु परियोजना निदेशालय के पत्रांक संख्या 596(6)/रुसा/2015–16 दिनांक 21 अक्टूबर 2015 द्वारा संशोधित प्रस्ताव दिनांक 7 नवम्बर 2015 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिया गया था :

1. प्रस्ताव संस्थाध्यक्ष के माध्यम से हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराया जाय।
2. प्रस्ताव की सुस्पष्ट कार्य योजना एवं औचित्य उपलब्ध कराया जाय।
3. प्रस्ताव की सीमा रु0 50 लाख तक सीमित रखी जाय।

सम्प्रति, प्रस्तावक द्वारा वांछित संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस सम्बन्ध में उच्च शिक्षा परिषद् की बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्रस्तावक द्वारा संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने के उपरान्त इस प्रस्ताव को उच्चादेश हेतु प्रस्तुत किया जाय।

Higher Education and Information Technology: Possibilities

Hybrid Learning and Flipped Classrooms

This is a form of blended learning. It involves students viewing video lecture online, mostly at home, and then time in class is devoted to more interactions and specific discussions pertaining to assignments and focusing on problem solving. This technology, urges students to be more receptive in class and participate in a meaningful way.

Lessons on Demand

This technology is all set to turn individual electronic devices into virtual classrooms anytime. Lessons are videotaped and published by universities/colleges and are generally freely available to anyone with access to internet. This technology gives the flexibility of time and place to the user.

E-Assessments and Online Exams

Online exams and e-assessments are becoming popular in tests based on multiple-choice questions. Technologies that help assess essay type questions are still evolving. E-assessments remain attractive to students today as they give immediate feedback and provide unbiased, near perfect marking. This form of assessment will be a boon in entrance exams, as the physical presence of the exam taker would no longer be a prerequisite.

Interactive Boards and Visual Presenters

This is a technology invented for the teacher to successfully engage the students effectively through visual treats. Long lectures could be replaced using this technology with visual aids that lend freshness to learning.

Cloud Based Tools

Use of cloud based tools like Google apps, icloud, You Tube and the likes could create a difference Notes, Books, discussion points can now be stored onto Google drives or Google docs and be shared within a class. Anyone can add or make points and the lecturer stays virtually connected to students all the time. Icloud since not restricted to one device creates universal access.

Tablets and Smart Phones

With advantage of easy portability, these devices are inevitable in using cloud based tools. These devices can also be easily hooked on to projectors and students can use them creatively to make presentations and assignments.

Social Networking

As conventional as we are in accepting that Social networking would help education, we are also aware that several universities are on face book & twitter. Lectures, deans and principals are taking to social media to form a personal connect with the students. Social Networking could effectively be converted for achieving educational goals

Digital Books

Digital Books have a huge potential as storing them and browsing through them is so much easier. These digital books could replace the aura of reading a physical book for the current generation.

Massive Open Online Courses (MOOCs)

These courses can be taken anywhere and are mostly free. Learners can take courses from universities of their choice. Some universities not only offer lectures and videos but also allow for students to learn by grading each other.

Bring Your Own Device (BYOD)

This idea where students are allowed to bring their own device to class could be cost effective to colleges and universities. BYOD also involves students connecting their device to the institution network. Simplicity and flexibility offered by these devices make such technologies a success.